

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क 251 / 13  
संस्थित दिनांक- 25.07.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. कृपाल सिंह पुत्र भगुन्त सिंह लोधी उम्र 49 साल
  2. हेमराज पुत्र कृपाल सिंह लोधी उम्र 26 साल
  3. जसोदा बाई पत्नी कृपाल सिंह लोधी उम्र 46 साल
- निवासीगण देवलखो

..... अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 09.02.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498 ए, 323 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि थाने पर सूचना प्राप्त होने कि दिनांक 06.06.2013 से तीन वर्ष पूर्व उन्होंने ग्राम देवलखो में रचना बाई के घर पर उसका पति एवं पति नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर दहेज न देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा प्रत्यक्षतया या परोक्षरूप से फरियादी अथवा उसके माता से दहेज की मांग कर फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया रचना का विवाह अभियुक्त हेमराज से हुआ था तथा अभियुक्त कृपाल फरियादी का ससुर है, एवं जसोदा बाई फरियादी की सास है।
- 03— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रचना लोधी की शादी हेमराज से तीन वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, रचना के पिता मुन्नालाल ने उनकी हैसियत से दहेज में नगदी सोने-चांदी, दहेज का सामान दिया था। रचना शादी के बाद ससुराल गई तो रचना की सास जसोदाबाई, ससुर कृपाल सिंह व पति हेमराज तीनों रचना बाई को परेशान करने लगे, कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने शादी मोटरसाईकिल व नगदी नहीं दिये और रचना को प्रताड़ित कर परेशान करने लगे, रचना अपने मायके वापस आई तो नगदी और मोटरसाईकिल मांगने वाली बात उसने अपने पिता मुन्नालाल व परिवार में बताई, तो रचना के पिता मुन्नालाल ने कहा था, कि समझा देने सब ठीक हो जायेगा। रचना उसके बाद दुबारा ससुराल गई तो फिर से जसोदाबाई, कृपाल सिंह व हेमराज ने मोटरसाईकिल व नगदी लाने पर तीनों उसे ताने देने लगे व खाने पीने से परेशान करने लगे, जसोदा बाई ने उसे थप्पड़ मार दिया, उक्त घटना के बाद जब रचना अपने मायके आई तो उसे उसके ससुराल वाले लेने नहीं आये और कहते थे कि मोटरसाईकिल और नगदी ला तभी लेने आयेंगे। फरियादी रचना की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 206/2013 अंतर्गत धारा-498 ए, 323 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक-06.06.2013 से तीन वर्ष पूर्व ग्राम देवलखो में रचना बाई के घर पर उसका पति एवं पति नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर दहेज न देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने फरियादी रचना के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने फरियादी रचना से अथवा उसके माता पिता से प्रत्यक्षता एवं परोक्षरूप से दहेज की कोई मांग की ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06-रचना बाई (अ0सा0-04) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसकी शादी अभियुक्त हेमराज से 22 मई 2010 को हुई थी, शादी में जो भी मांगा गया था, वो उसके पिता ने दिया था। फरियादी का कहना है कि शादी के बाद उसे ससुराल में अच्छे से रखा था, परन्तु फिर उसके बाद सास ससुर व पति हेमराज मारपीट करते थे और कहते थे कि तेरे पिता ने कुछ नहीं दिया, 1,00,000/- रुपये लेकर आयेगी तभी तुझे रखेंगे। रचना बाई (अ0सा0-04) का कहना है कि उसकी मारपीट आरोपीगण ने चार पांच महीने के बाद शुरू कर दी थी, जिसके बारे उसने अपने पिता को एक डेड साल बाद बताया था।

07-अभियोजन की ओर से रचना बाई (अ0सा0-04) की शगुन बाई (अ0सा0-02) व मुन्नालाल (अ0सा0-01) के कथन भी न्यायालय में कराये गये है, शगुन बाई (अ0सा0-02) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि आरोपीगण उसकी लडकी से 1,00,000/- रुपये व मोटरसाईकिल लेकर आने का कहते थे। शगुन बाई (अ0सा0-02) के अनुसार भी उक्त मांग शादी के तुरन्त बाद नहीं की गई थी, बल्कि इस साक्षी का कहना है कि शादी के एक साल बाद उक्त घटना हुई थी, शगुनबाई

(अ0सा0-02) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 में भी यह कहती है कि शादी के बाद रचना बाई कई बार ससुराल से मायके आती जाती रहती थी, परन्तु इस अवधि में कोई मांग नहीं हुई और वह रचना को अच्छी तरह से ससुराल से लेकर आये और अच्छी तरह से ही रचना बाई (अ0सा0-04) को विदा भी किया तथा यह लाना ले जाना लगभग 4-6 बार हुआ था और इस अवधि में कोई मांग नहीं की गई थी।

08-मुन्नालाल (अ0सा0-01) जो कि रचना (अ0सा0-04) का पिता हैं। रचना (अ0सा0-04) के कथनों का समर्थन करते हुये, यह कहता है कि उसकी लडकी ससुराल में एक साल रही थी और लगभग शादी के ढेड साल बाद भी उसने यह बताया था कि आरोपीगण उसके साथ मारपीट करते हैं और कहते है कि एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल लेकर आ। मुन्नालाल (अ0सा0-01) भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह कहता है कि उसकी लडकी तीन तीन महीने के बाद एक दो बार जब ससुराल से आई थी तब तक उसे ससुराल वालों ने अच्छे से रखा था।

09-अतः रचना (अ0सा0-04), शगुनबाई (अ0सा0-02) व मुन्नालाल (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि रचना (अ0सा0-04) की वर्ष 2010 से हेमराज से शादी होने के बाद उसे शादी के तुरन्त बाद से एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग आरोपीगण के द्वारा नहीं की गई, बल्कि शादी के बाद रचना (अ0सा0-04) कई बार अपने मायके आई थी, तो लगभग 05-06 महीने तक ससुराल में उसे अभियुक्तागण ने अच्छे से रखा था।

10-यह उल्लेखनीय है कि रचना (अ0सा0-04) अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं कहती है कि किस दिनांक को आरोपीगण में से किस ने उससे क्या मांग की थी तथा किस आरोपीगण ने उसके साथ कब मारपीट की थीं। रचना (अ0सा0-04) ने अपने मुख्यपरीक्षण में एक सामान्य से कथन देते हुये यह कहा है कि आरोपीगण उसके साथ मारपीट करते थे और एक लाख रुपये लाने का कहते थे। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 जो कि स्वयं रचना (अ0सा0-04) के द्वारा लेखबद्ध कराई गई हैं, उसके में कही भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपीगण उससे एक लाख रुपये की मांग करते थे। वहीं मोटरसाईकिल करने का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 में है परन्तु इस संबंध में रचना (अ0सा0-04) के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन न देते हुये प्रतिपरीक्षण में कहती है कि ठण्ड के दिन में मोटरसाईकिल मांगी थी।

11-यहां यह विचार किये जाने योग्य है कि यदि आरोपीगण लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति है या वह रचना (अ0सा0-04) की शादी में मिले दान दहेज से असंतुष्ट थे, तो ऐसी असंतुष्टि होने के बार शादी के तुरन्त बाद ही वह रचना (अ0सा0-04) को मोटरसाईकिल तथा एक लाख रुपये लाने के लिये प्रताडित करना शुरू करते, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि शादी के लगभग 5-6 माह तक स्वयं रचना व उसके माता

पिता के अनुसार वह ससुराल में अच्छे से रही थी तथा इस अवधि में उसके साथ न तो कोई मारपीट की गई और न ही उपरोक्त मांग के लिये उसे प्रताड़ित किया गया। अतः यह स्थिति बड़ी असामान्य सी दर्शित होती है कि अचानक शादी के 5-6 माह बाद अभियुक्तगण मोटरसाईकिल और एक लाख रुपये की मांग रचना (अ0सा0-04) से करने लगे।

12-रचना (अ0सा0-04), शगुनबाई (अ0सा0-02) व मुन्नालाल (अ0सा0-01) के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने क्या मांग करके रचना (अ0सा0-04) को प्रताड़ित किया यह सभी साक्षी एक लाख रुपये की मांग आरोपीगण के द्वारा करना बताते हैं तथा उक्त मांग को लेकर रचना बाई के साथ मारपीट की घटना भी आरोपीगण के द्वारा कारित किये जाने के संबंध में कथन देते हैं, परन्तु एक लाख रुपये की मांग किये जाने का उल्लेख न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही शगुन बाई (अ0सा0-02) व मुन्नालाल (अ0सा0-01) के द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों में है। वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय रचना (अ0सा0-04) के द्वारा एक लाख रुपये की मांग किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु बाद में पुलिस को दिये गये कथनों में रचना ने इसका उल्लेख किया।

13-अतः वास्तविकता में आरोपीगण के द्वारा एक लाख रुपये की मांग की जा रही थी और उससे रचना बाई मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में घटना के रिपोर्ट में व माता-पिता के द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों में इस बात का उल्लेख न होना कि वास्तविकता में कितने रुपये की मांग की जा रही थी, निश्चित रूप से इस संबंध में साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों को कहीं ना कहीं विश्वसनीय प्रकट नहीं करता है। रचना (अ0सा0-04) अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहती है कि आरोपीगण ने जब से उसे घर से निकला है तब से वह दुबारा ससुराल नहीं गई और न ही आरोपीगण उसे लेने आये तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-07 में इसी साक्षी का कहना है कि आरोपीगण ने उसे मार कर भगाया था तथा उसके साथ सास ससुर और हेमराज ने लाठी से मारपीट की थीं।

14-शगुन बाई (अ0सा0-02) का भी यही कहना है कि रचना (अ0सा0-04) का आरोपीगण ने मारपीट कर एक जोड़ी कपड़ों में ससुराल से भगा दिया था तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में शगुन बाई (अ0सा0-02) का यह भी कहना है कि जब आरोपीगण ने मारपीट करके भगाया था, तो रचना को बहुत सी चोटे आई थीं तथा रचना इलाज भी उन लोगों ने कराया था। मुन्नालाल (अ0सा0-01) भी अपने कथनों में रचना के कथनों का समर्थन करते हुये यह कहता है कि आरोपीगण ने ही उसकी लडकी को मारपीट करके ससुराल से भगा दिया था तथा उसकी लडकी के गाल सूजे हुये थे और नील पड़े हुये थे।

15-अतः रचना (अ0सा0-04), शगुन बाई (अ0सा0-02), मुन्नालाल (अ0सा0-01) के अनुसार

आरोपीगण ने रचना बाई को मारपीट करके घर से भगाया था तथा मारपीट में रचना बाई को कई चोटें भी आई थीं। यहा यह उल्लेखनीय है कि रचना (अ0सा0-04) के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 के अनुसार सास के थप्पड़ मार देने पर रचना (अ0सा0-04) स्वयं ही मायके आ गई थीं। अतः स्पष्ट है कि रचना (अ0सा0-04) के न्यायालीन कथन एवं प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 में विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में आरोपीगण ने रचना (अ0सा0-04) को मारपीट करके भगाया था या वह स्वयं ही अपने मर्जी से ही मायके आकर रहने लगी थी।

16-रचना (अ0सा0-04) आरोपीगण के द्वारा लाठियों से मारपीट कर ससुराल से भगा देना बताती है तथा उसके माता पिता भी अपने कथनों में यह कहते हैं कि जब आरोपीगण ने उसे ससुराल से भगाया था तो रचना के शरीर पर चोटों के निशान थे, परन्तु इसके बाद भी यदि ऐसी घटना हुई थी, तब भी स्वयं रचना (अ0सा0-04) या उसके माता पिता ने थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। स्वयं रचना (अ0सा0-04) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-07 में यह स्वीकार करती है कि ससुराल से आने के लगभग ढेड वर्ष के बाद उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

17-यदि रचना (अ0सा0-04) को मोटरसाईकिल व एक लाख रुपये की मांग के लिये शादी के बाद से ही प्रताडित किया जा रहा था और मारपीट की जा रही थी तथा ससुराल से उसे मारपीट करके भगा भी दिया था, तो ससुराल से आने के लगभग ढेड वर्ष बाद थाने पर रिपोर्ट किया जाना अपने आप में दहेज की मांग व मारपीट के संबंध में इन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों को अविश्वसनीय बना देता है, क्योंकि वास्तव में दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण के द्वारा मारपीट की जाती या रचना को ससुराल से भगा दिया गया होता तो वह ढेड वर्ष तक इस बात की प्रतीक्षा या अपेक्षा नहीं करती कि आरोपीगण उसे लिवाकर ससुराल ले जायेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 में भी इस बात का उल्लेख है कि जब आरोपीगण उसे लेने नहीं आ रहे थे, तो उसने थाने पर रिपोर्ट की थी।

18-रचना (अ0सा0-04) सहित शगुन बाई अ सा 02 व मुन्नालाल (अ0सा0-01) की संपूर्ण साक्ष्य में इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं है कि वास्तव में किस दिनांक को किस अभियुक्त ने रचना (अ0सा0-04) के साथ क्या मांग की थीं। ससुराल से आने के ढेड वर्ष बाद थाने पर रिपोर्ट की गई, इस अवधि में शादी के बाद से रिपोर्ट करने की दिनांक तक दहेज की मांग या मारपीट की घटना की कोई शिकायत तक रचना के द्वारा थाने में या किसी अन्य मंच पर की गई, इस आशय की कोई साक्ष्य या कथन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यदि अभियुक्तगण ने शादी के 4-5 माह तक रचना को ससुराल में अच्छे से रखा था, तो इस बात विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं बनता है कि अचानक से 5-6 माह के अभियुक्तगण मोटरसाईकिल व एक लाख रुपये की मांग को लेकर रचना (अ0सा0-04) को प्रताडित करेंगे।

- 19—अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि रचना (अ0सा0-04) रिपोर्ट करने की दिनांक के पूर्व से ही अपने मायके में रह रही थी, यह साक्षियों ने तथा स्वयं अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने अब्दुल हमीद खान (अ0सा0-05) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार किया है। रचना (अ0सा0-04) को अभियुक्तगण ने मारपीट कर घर से भगा दिया था इस संबंध में रचना सहित किसी भी साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय है तथा स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 के अनुसार रचना स्वयं ही अपने मायके में आकर रहने लगी थी।
- 20—पत्नी का ससुराल से आकर अपने मायके में रहना इस बात का निश्चायक प्रमाण प्रत्येक बार या प्रत्येक प्रकरण में नहीं माना जा सकता है कि पत्नी को ससुराल पक्ष दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित कर रहा था या उसे मारपीट कर ससुराल वालों ने भगा दिया था। पति-पत्नी के बीच विवाद के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण वह एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में थाने पर एक ही तरह की रिपोर्ट दहेज प्रताड़ना की करना वर्तमान परिवेश में आम बात हो गई है। वर्तमान प्रकरण में साक्षियों के कथनों से यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दहेज की मांग लेकर रचना को प्रताड़ित किया, या उसे मारपीट कर घर से भगा दिया।
- 21—रचना (अ0सा0-04) अपने मायके में क्यों रहने लगी इस संबंध में अभियुक्तगण की मुख्य रूप से प्रतिरक्षा है कि रचना (अ0सा0-04) ने किसी ने अन्य व्यक्ति से ससुराल से जाने के बाद विवाह कर लिया है और उस व्यक्ति से उसे पुत्र सन्तान भी है। उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में यदि रचना के कथनों को देखा जाये तो रचना (अ0सा0-04) भी अपने कथनों में कहती है कि आरोपीगण उसके चरित्र पर आरोप लगाते थे तथा मुन्नालाल (अ0सा0-01) भी अपने कथनों में यह कहता है कि पंचायत में आरोपीगण ने उसकी लडकी पर आरोप लगा दिये थे। अतः बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा व रचना (अ0सा0-04) एवं मुन्नालाल (अ0सा0-01) के कथनों से स्पष्ट होता है कि विवाद का कारण निश्चित रूप से दहेज की मांग न होकर रचना (अ0सा0-04) के चरित्र को ससुराल पक्ष के द्वारा प्रश्नगत करना है।
- 22—रचना (अ0सा0-04) सहित साक्षियों के कथनों में बचाव पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट सुझाव दिया है कि रचना ने किसी कोमल नाम के व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया है, जिससे उसे एक सन्तान भी है, जिसका खण्डन रचना सहित उसके माता पिता ने अपने कथनों में किया है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा को साबित करने के लिये अभियुक्त कृपाल (ब0सा0-01), ग्राम मूढरा बहादुरा का सरपंच नन्दलाल (ब0सा0-02), के कथन न्यायालय में कराये गये हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श-डी-01 का पंचनामा सहित जन प्रमाणपत्र प्रदर्श-डी-02 व रचना के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तुत आधार कार्ड व पहचान कार्ड की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी-03 व 04 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

23—अभियुक्त कृपाल (ब0सा0-01) का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि रचना (अ0सा0-04) कोमल सिंह के साथ पत्नी की तरह बैठ गई है, उन्होंने एक दो बार रचना को मायके लाने का प्रयास किया था, परन्तु रचना दूसरी शादी के करके इन्दौर में रहने लगी है। नन्दलाल (ब0सा0-02) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि रचना ने इन्दौर में कोमल सिंह लोधी से विवाह कर लिया है और उससे उसकी पुत्र और पुत्री के रूप में सन्तान भी है तथा इस साक्षी पंचनामा प्रदर्श-डी-01 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं जो कि इसी संबंध में ग्राम पंचायत में मुढरा बहादुरा के सरपंच के द्वारा लेख किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श-डी-02 का जन्म प्रमाण पत्र जो कि प्रभा लोधी का है, जिस पर प्रभा लोधी के माता-पिता के रूप में रचना व कोमल सिंह का नाम अंकित है। वहीं आधार कार्ड पर भी रचना के पति के रूप में कोमल सिंह का नाम अंकित है।

24—बचाव साक्षी कृपाल (ब0सा0-01) व नन्दलाल (ब0सा0-02) के द्वारा दिये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती है कि रचना के द्वारा किसी कोमल नाम के व्यक्ति से अभियुक्तगण के घर से जाने के बाद दूसरा विवाह कर लिया गया है तथा कोमल से उसे सन्तान भी उत्पन्न हुई। अतः बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा पूरी तरह से प्रमाणित होती है। जिसके खण्डन में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है।

25—अभियुक्त के द्वारा परिवादी को बिना किसी पर्याप्त कारण के छोड़कर अलग रहने से निश्चित रूप से परिवादी को मानसिक पीडा हो सकती है, परन्तु उक्त पीडा धारा 498 (ए) भा0दं0वि0 के तहत कूरता की परिधि में नहीं आती हैं। यहां भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) में दिये गये स्पष्टीकरण का उल्लेख यहां किया जाना आवश्यक है जिसमें कूरता शब्द का आशय धारा 498 (ए) भा0दं0वि0 के प्रयोजन से स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार.....

“cruelty” means—

- (a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or
- (b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

26—अतः भा0दं0वि0 498 (ए) की परिधि में दो प्रकार की कूरता आती है प्रथम तो ऐसा कृत्य जो पत्नी को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दे या उसके जीवन स्वास्थ्य को गंभीर उपहति कारित करें। वहीं दूसरी ओर ऐसी कूरता जो दहेज की मांग के लिये की जावें।

27—वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य कहीं भी यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया, जिससे रचना (अ0सा0-04) आत्महत्या करने के लिये मजबूर हुई हो अथवा उसके जीवन व स्वास्थ्य पर कोई गंभीर क्षति कारित हुई हो। वहीं दूसरी ओर अभियुक्तगण रचना (अ0सा0-04) से या उसके परिजनों से दहेज की मांग कर उसे कभी भी प्रताड़ित किया गया, यह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य से विश्वसनीय प्रतीत न होने से प्रमाणित नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रचना (अ0सा0-04) का अभियुक्तगण से अलग रहना एवं स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेने के कारण अभियुक्तगण का कोई भी कृत्य भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और न ही यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट कर कभी कोई उपहति कारित की एवं अभियुक्तगण ने रचना (अ0सा0-04) से प्रत्यक्षता या परोक्षता रूप से अथवा उसके माता-पिता से दहेज की कोई मांग की।

28— फलतः अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र भगुन्त सिंह लोधी, हेमराज पुत्र कृपाल सिंह लोधी, जसौदा बाई पत्नी कृपाल सिंह लोधी को धारा 498 (ए), 323 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र भगुन्त सिंह लोधी, हेमराज पुत्र कृपाल सिंह लोधी, जसौदा बाई पत्नी कृपाल सिंह लोधी को 498 (ए), 323 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

29— अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)